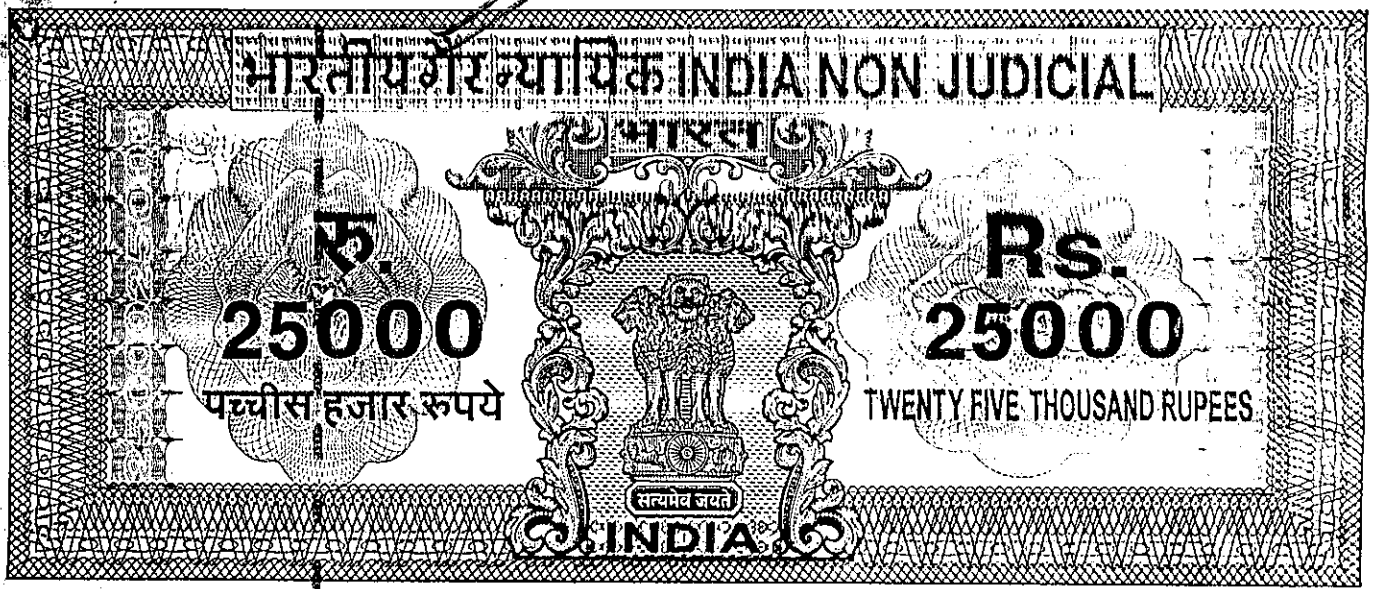
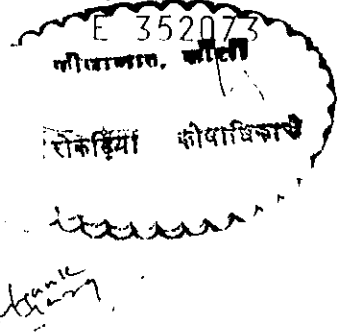


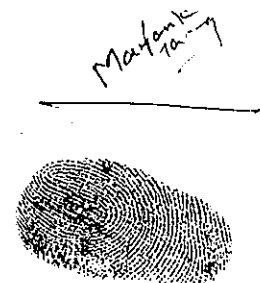
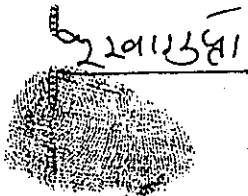


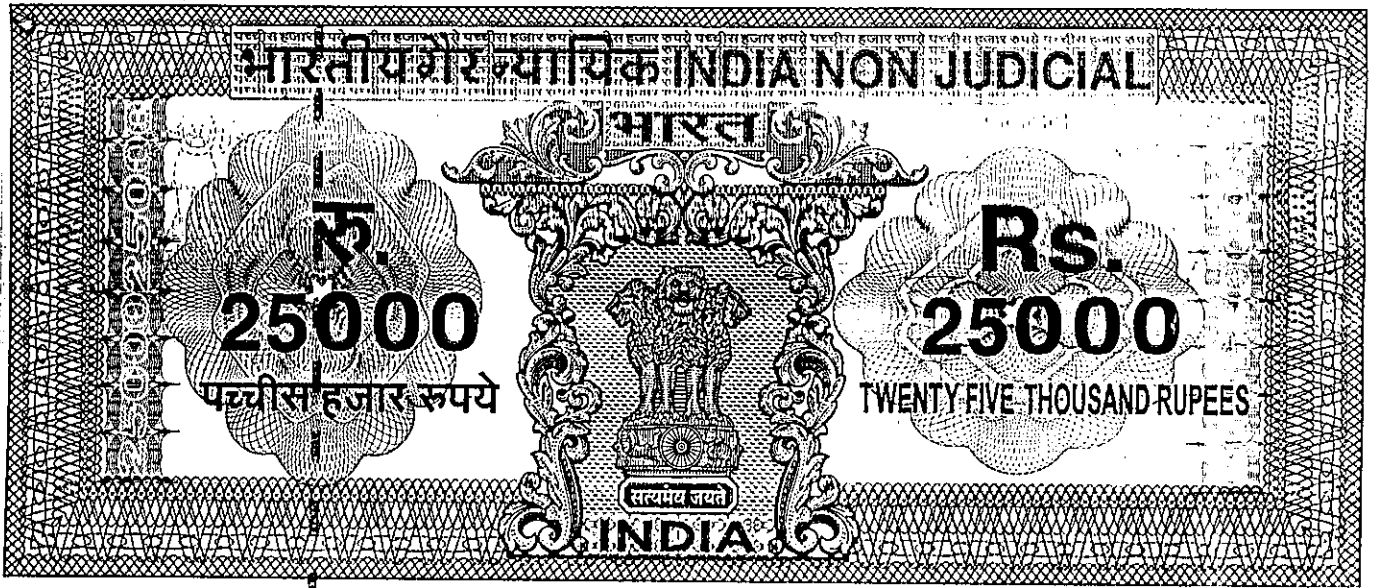
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गुरु-कृपा



भूमि मूल्यांकन सूची- पेज सं० 112 वी-कोड 0334 में अंकित दर 53,00,000/-रु० प्रति है० की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 352072

(2)

स्टाम्प का योग — 3,75,000 /—रु०

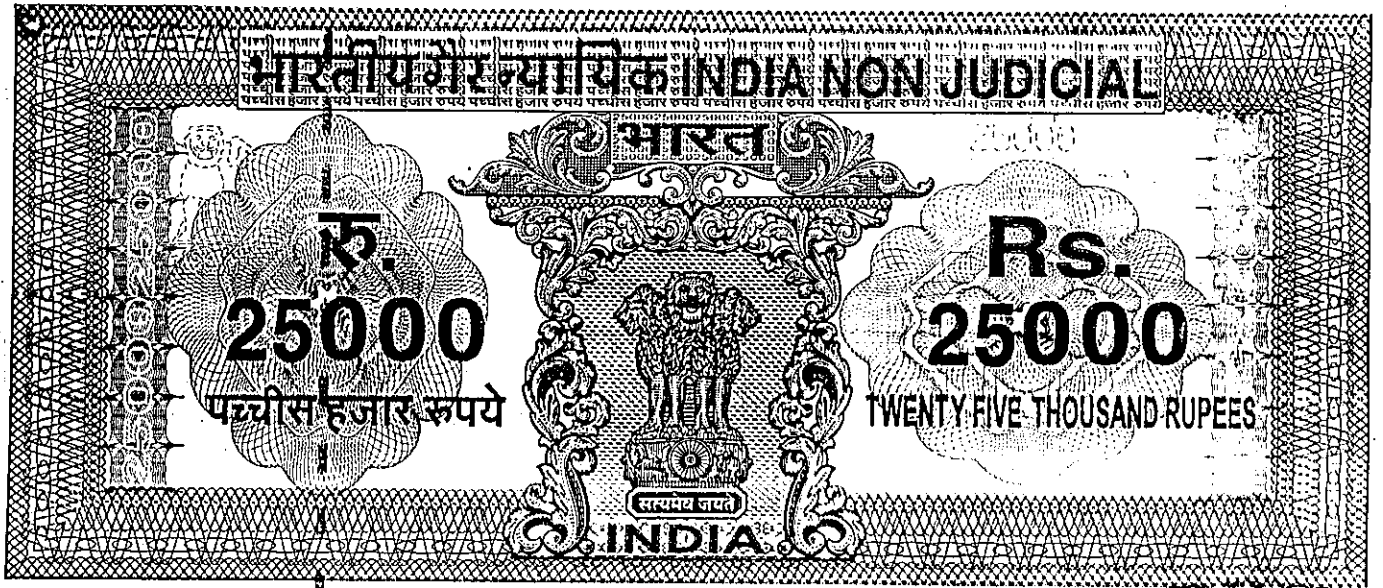
बाजारू मालियत — 53,49,000 /—रु० से अधिक नहीं है।

२२४१२५१

Anubomoi

Manoj Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

E 352071

विक्रय मूल्य

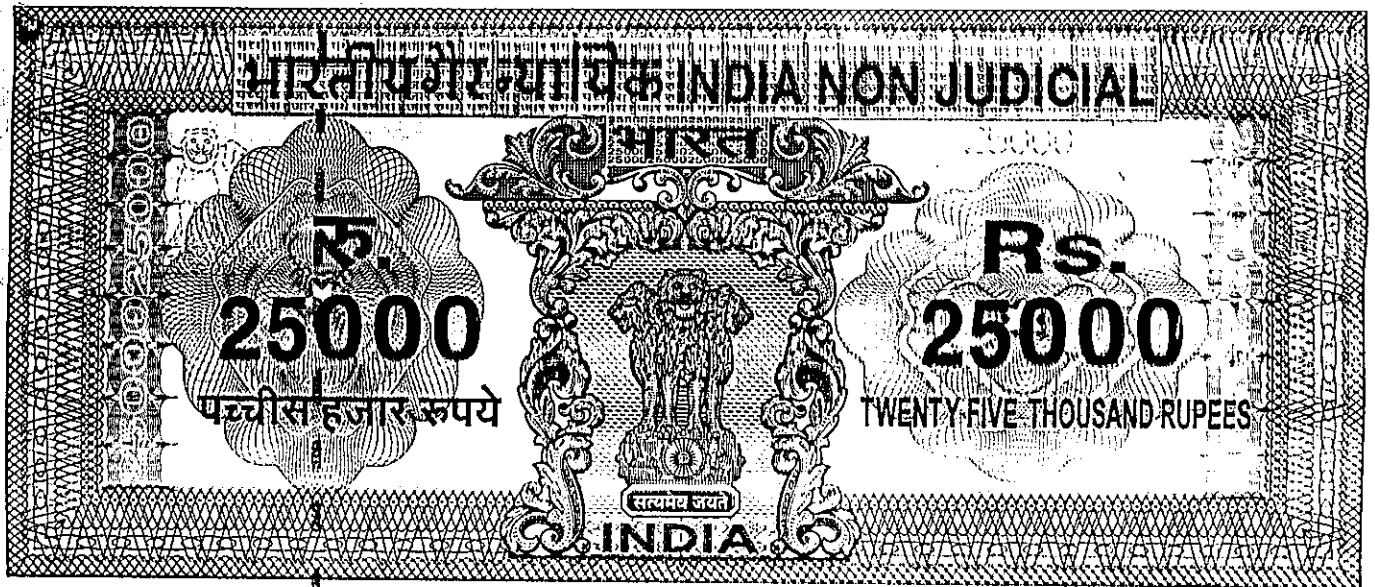
— 53,50,000/-रु० जिसमे से 17,65,500/-रु० जरिये  
चैक सं० 938057 दिनांक 15.11.2015 व 35,31,000/-रु०  
जरिये चैक सं० 938058 दिनांक 30.11.2015 पंजाब  
नेशनल बैंक शाखा सदर बाजार झांसी के द्वारा प्राप्त  
कर लिये है व 53,500/-रु० टी०डी०एस० के द्वारा  
अदा कर दिये गये है।

२२०१३५१

Shubham

Mandana





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 352070

E 352070

(4)

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| दस्तावेज का प्रकार | — | बैनामा   |
| मौजा               | — | सिमरधा   |
| ब्लाक              | — | बड़ागाँव |
| सम्पत्ति का प्रकार | — | कृषिकीय  |

22/1/2011

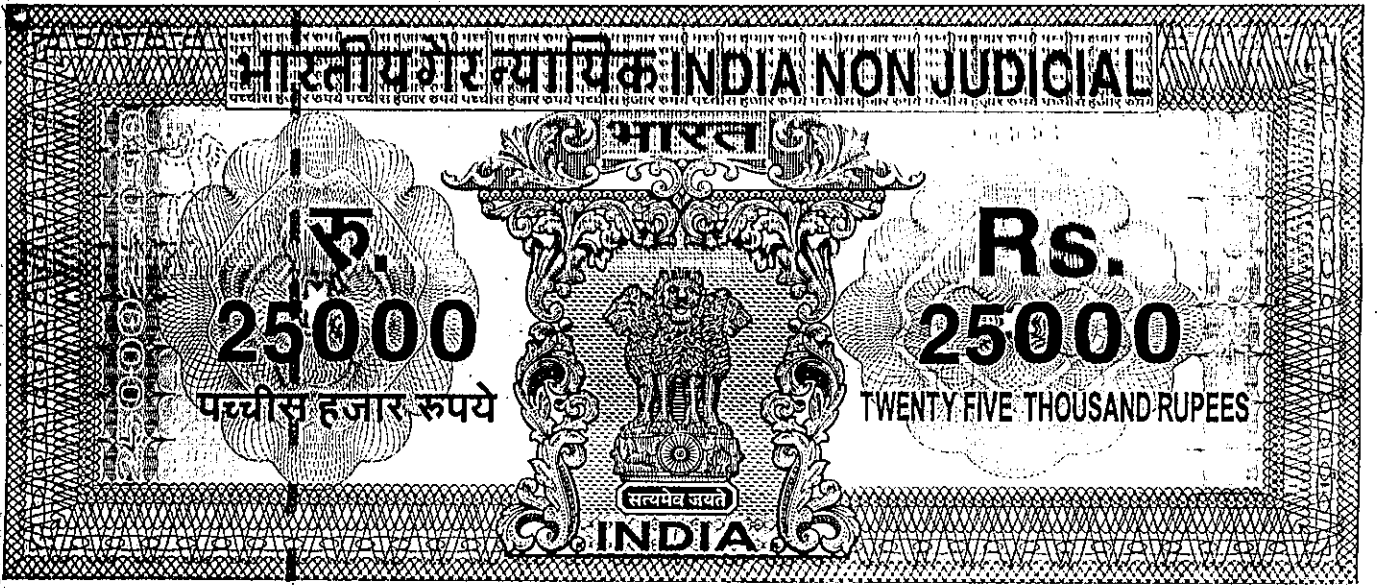


Anubama



Mandana





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

E 352069

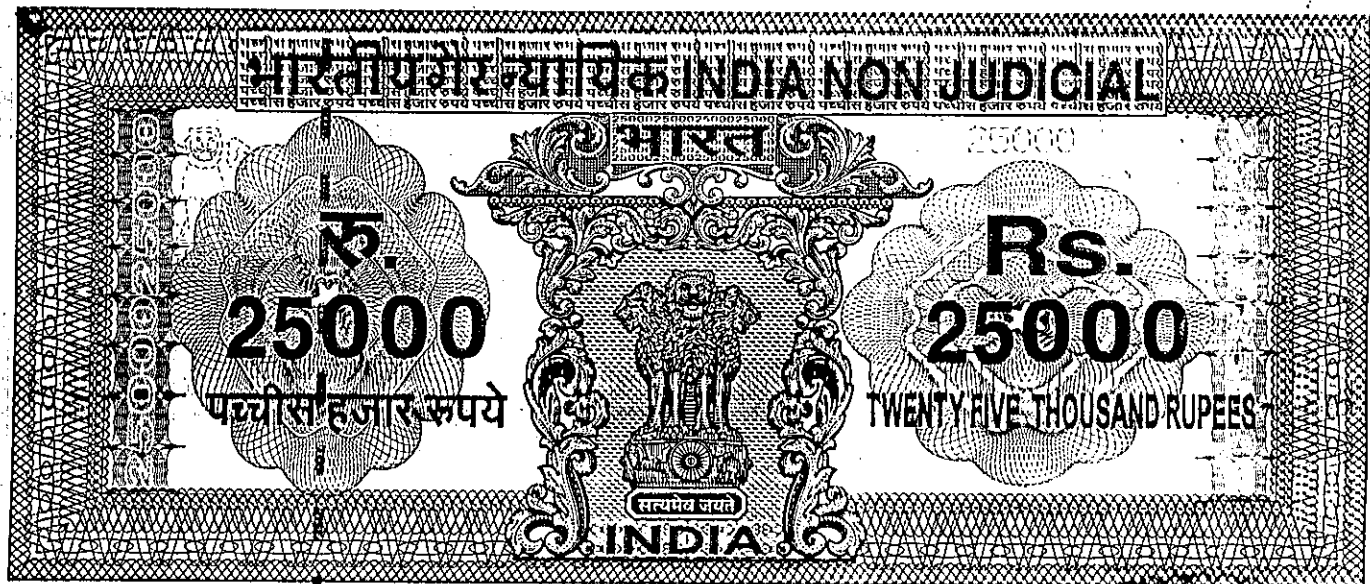
- मापन की इकाई — हैक्टेयर
- विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 1.004 हैक्टेयर
- सड़क की स्थिति — उक्त आराजी किसी भी सर्वेक्षण मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं लगी है एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है। उक्त आराजी कृषिकीय भूमि है।

22/11/2011

Shubham

Murthy





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

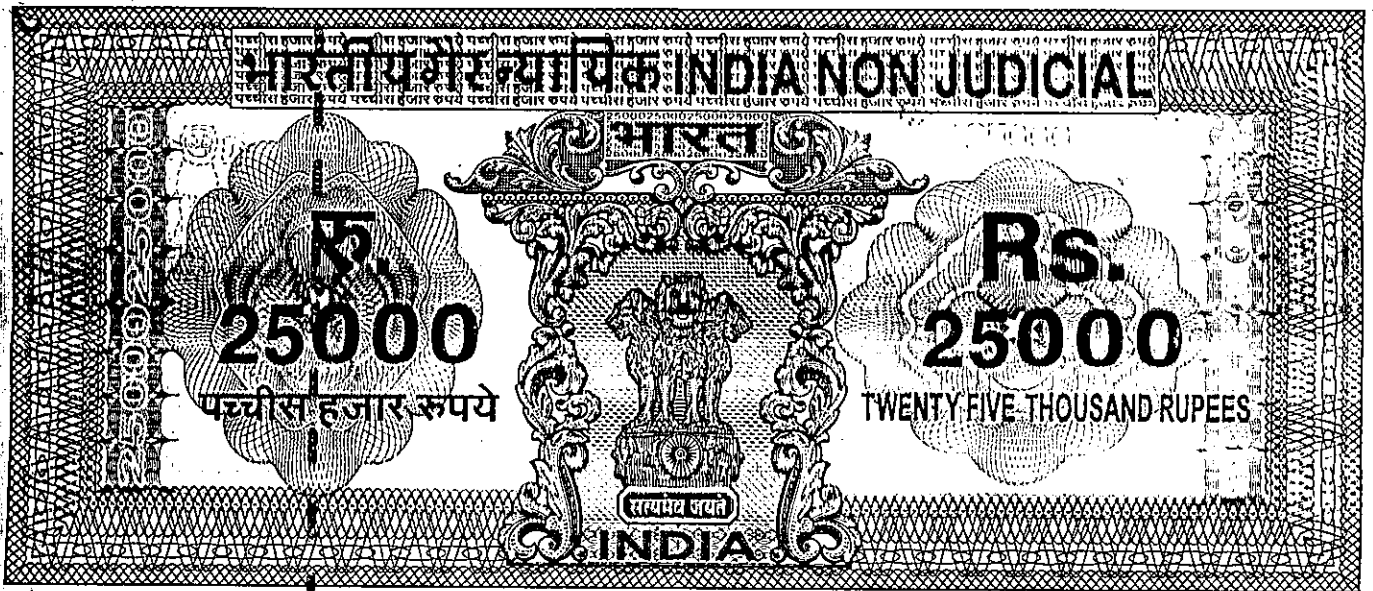
- |                        |   |                                                         |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| पेड़ों का मूल्यांकन    | — | कोई पेड़ नहीं है                                        |
| बोरिंग/कुआँ/अन्य       | — | एक पक्का कुआँ स्थित है जिसका 1/6 भाग बय किया जा रहा है। |
| प्रथम पक्ष की संख्या   | — | दो                                                      |
| द्वितीय पक्ष की संख्या | — | एक                                                      |

2201/351

Amulam

Marlonc





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

E-352067

बतावना, लीक

मुख्य/रीकडिया कोषाधिकारी

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष -

श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री जयप्रकाश  
गुप्ता पुत्री श्री जानकी दास गुप्ता निवासी-  
811/5 ए, शक्ति नगर कॉलोनी, नियर  
कुंज बिहारी मन्दिर, ग्वालियर रोड, तहसील  
व जिला झाँसी (जिनकी पहचान पेन कार्ड  
सं० ABVPG 5978 P से की गयी है) (हिस्सा  
2/3) व श्रीमती अनुपमा तिवारी पत्नी श्री

रजनी कुमारी



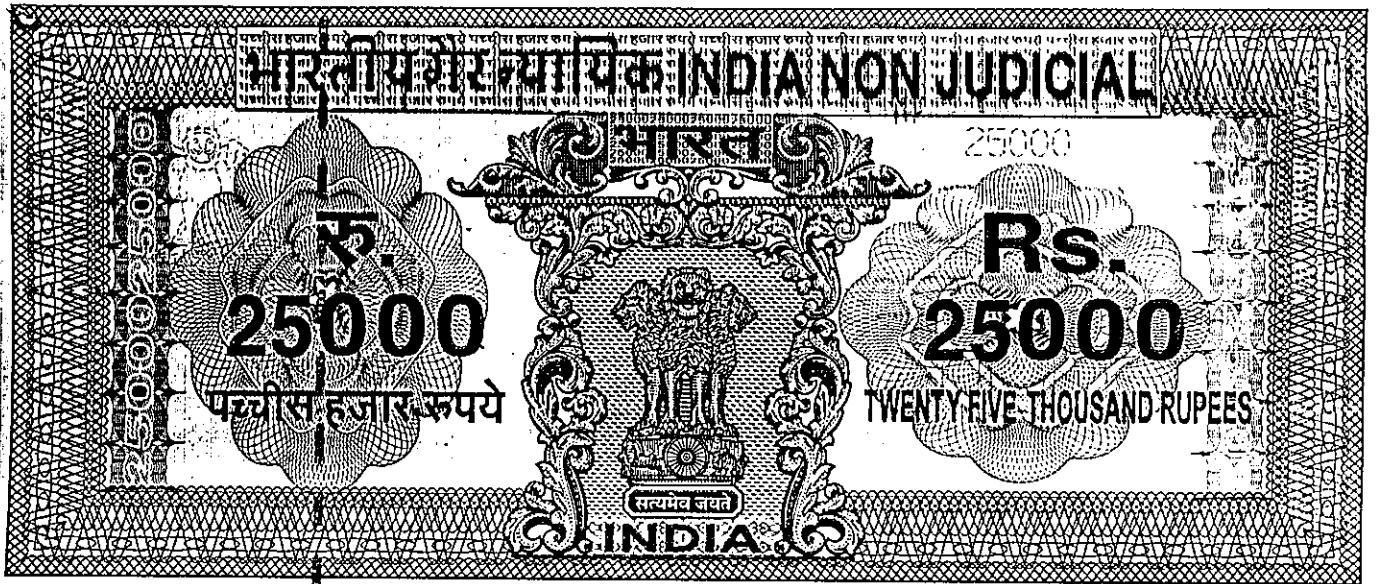
Anupama



Mamta

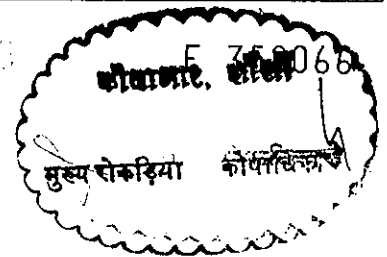






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)



डी०के० तिवारी पुत्री श्री सत्यप्रकाश बाजपेयी  
निवासी- 5, कैलाश रेजिडेन्सी, गल्ला मण्डी  
रोड, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी  
पहचान पेन कार्ड सं० AHBPT 8061 E से  
की गई है) (हिस्सा 1/3)

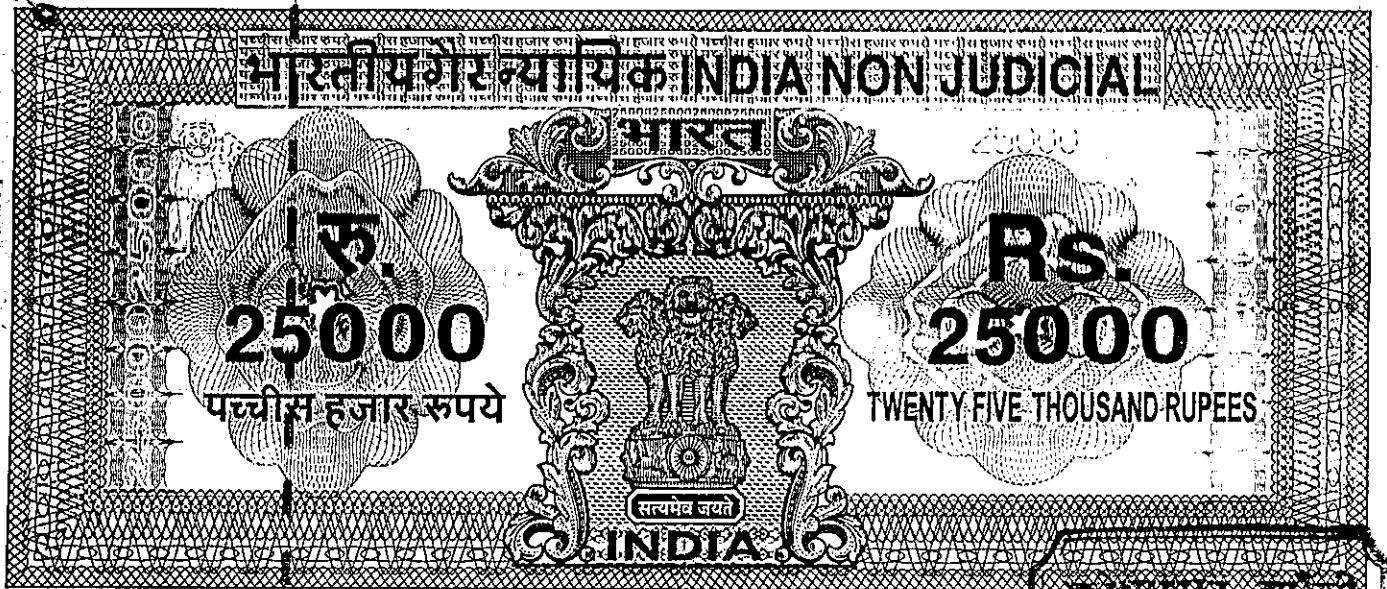
22012581

Anupama

Mandana







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 350500

E 350500

मुम्बई जिला कोशविहारी

(9)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष—

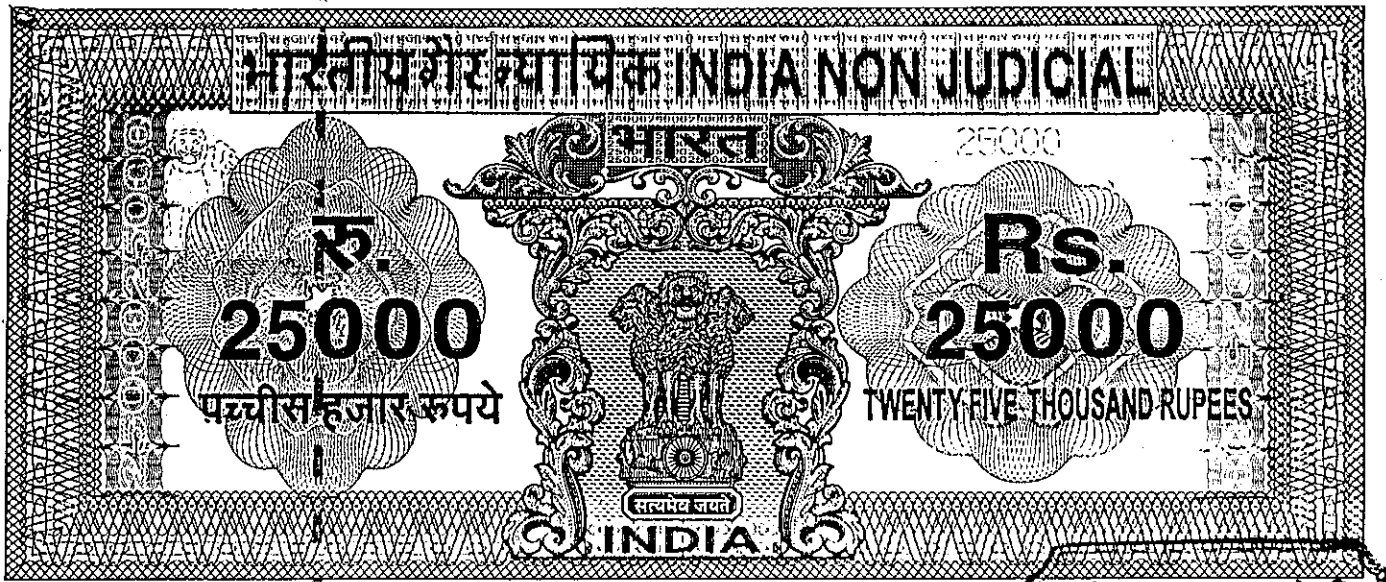
श्री मयंक गर्ग पुत्र श्री जगदीश नारायण  
अग्रवाल (जिनकी पहचान पेन कार्ड सं०  
AGTPA 5689 E से की गयी है) निवासी—  
75, केवलरी रोड, कैण्ट झाँसी, तहसील व  
जिला झाँसी

22/1/2018

Anupama

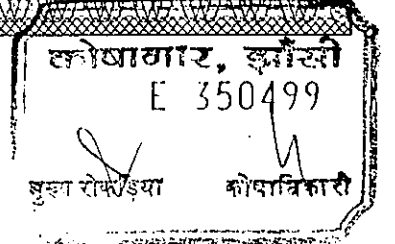
Mohan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)



सम्पत्ति का विवरण — विक्रित आराजी वाकै मौजा सिमरधा ब्लाक बड़ागोंव तहसील व जिला झांसी में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

| खाता सं० | आराजी नं० | रकवा     |
|----------|-----------|----------|
| 00018    | 355       | 6.026है० |

कुल 1 किता रकवा 6.026है० का 1/6 भाग यानि रकवा 1.004 है० जिसकी मालियत 53,00,000/-रु० प्रति है० की दर से 53,22,000/-रु० से अधिक नहीं है व विक्रित आराजी में एक पक्का कूप बना है जिसका 1/6 भाग वय किया जा रहा है जिसकी मालियत 27,000/-रु० से अधिक नहीं है।

22वां 23वां

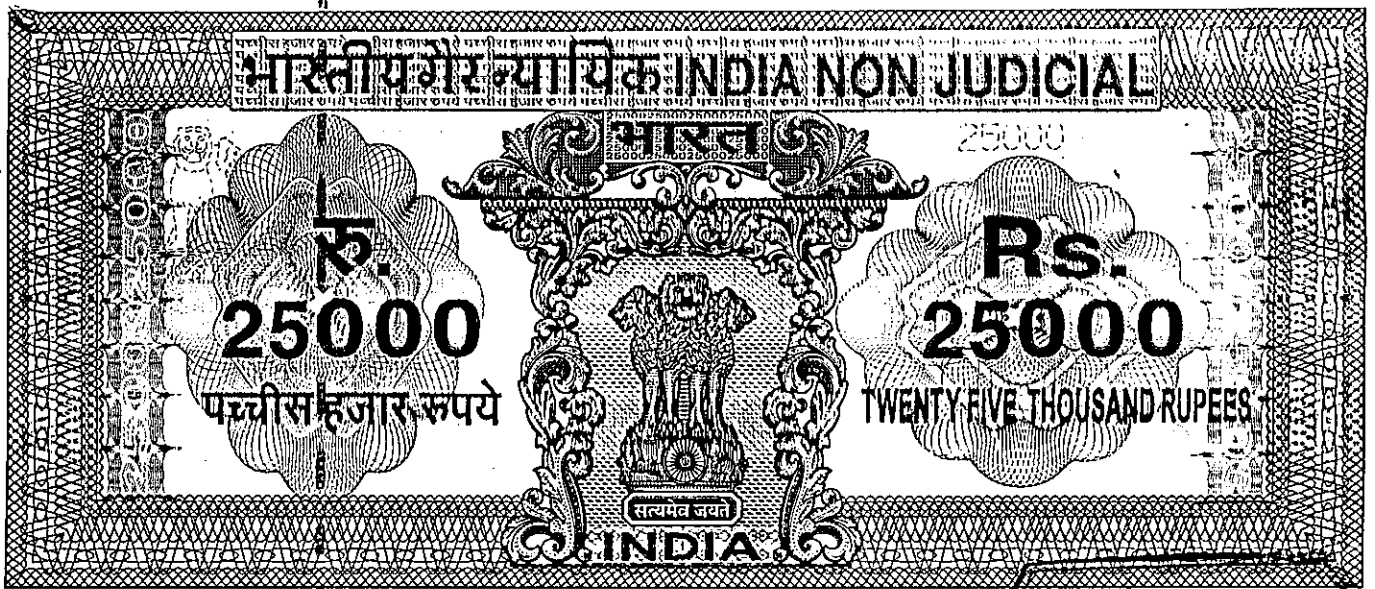


Shubham



Manoj





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

संजोषाकार, झांसी  
E 350498

प्रमाण रोकड़िया कोषाधिकारी

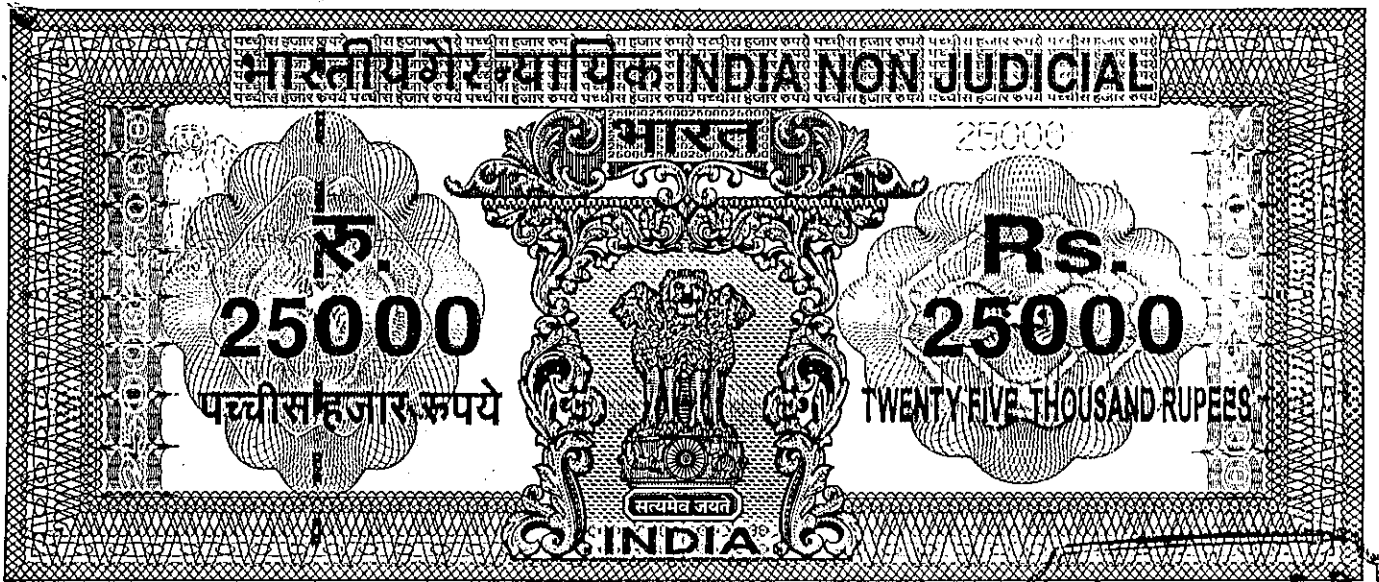
उपरोक्त खाते का लगान 14 रु0 80 पैसा सालाना आता है। उपरोक्त आराजी विक्रेतागण ने जरिये बैनामा श्री अवध विहारी पुत्र श्री लक्ष्मणस्वरूप से दिनांक 31.05.2008 ई0 को क्रय की थी जिसकी रजिस्ट्री श्रीमान सबरजिस्ट्रार कार्यालय झांसी में वही सं0 1 जिल्द 3482 के पृष्ठ 167/224 पर क्रमांक 2257 पर दिनांक 11.06.2008 ई0 को दर्ज है।

रजवा रक्षी

Amurkany

marking





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 350497

खोवागार, इन्दी

E 350497

मुख्य रोस्टिया कोषाधिकारी

(12)

दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बरान को रंग लाल से दर्शाये गये हैं जो बैनामा का अंश भाग है विक्रित आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

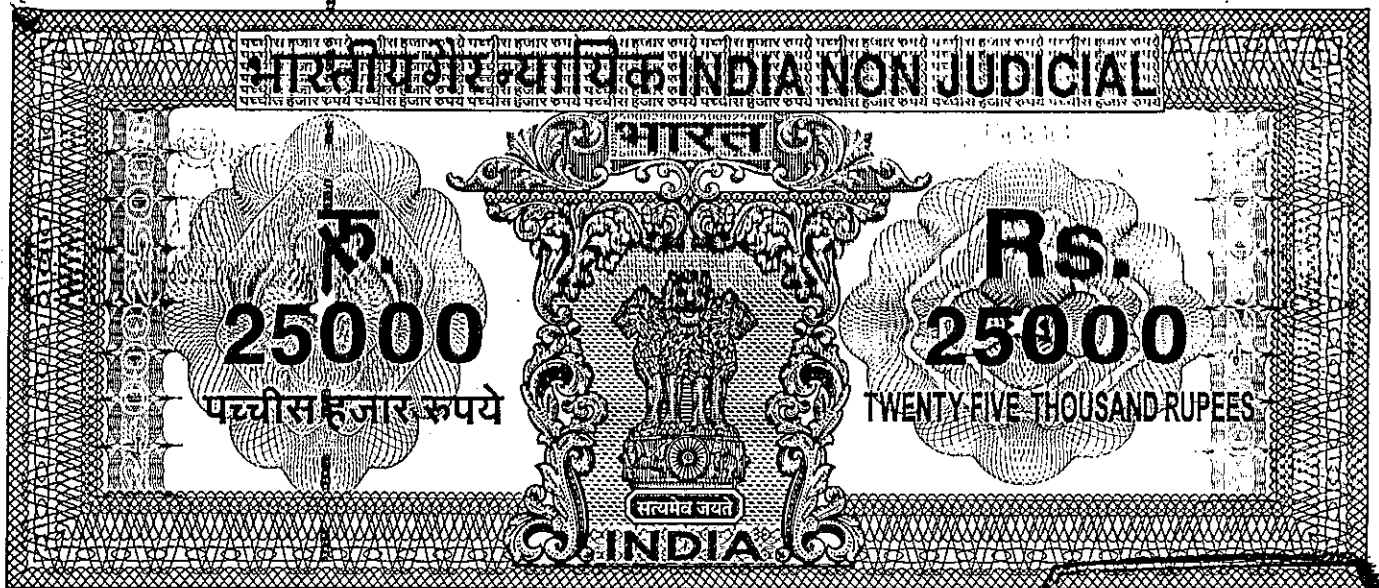
विक्रित आराजी औद्योगिक प्रयोजन की भूमि नहीं है विक्रित आराजी कृषि योग्य भूमि है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी नम्बरान के वावत जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है।

२२वा २३वा

Amul Kama

Martan Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

कोषागार डॉ. 350496

मुद्रा लेखिका कोषागार

विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

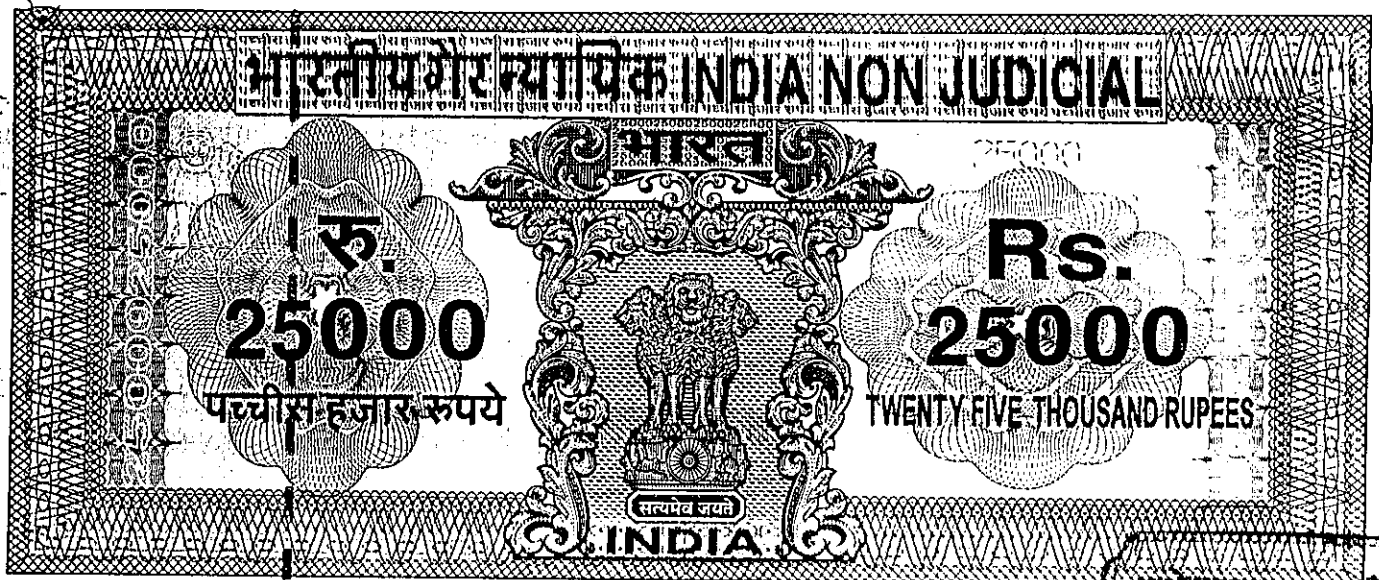
यह कि हम विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिजा व दखील हैं जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है चूँकि हम विक्रेतागण को रूपयों की जरूरत है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को वय व फरोख्त करते हैं, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावे, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात

22/1/2011

Anupama

Mandana





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमे या हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। अतः विक्रित सम्पत्ति को उक्त क्रेता द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर खरीद किया है। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तिरसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेतागण

रु. 25000

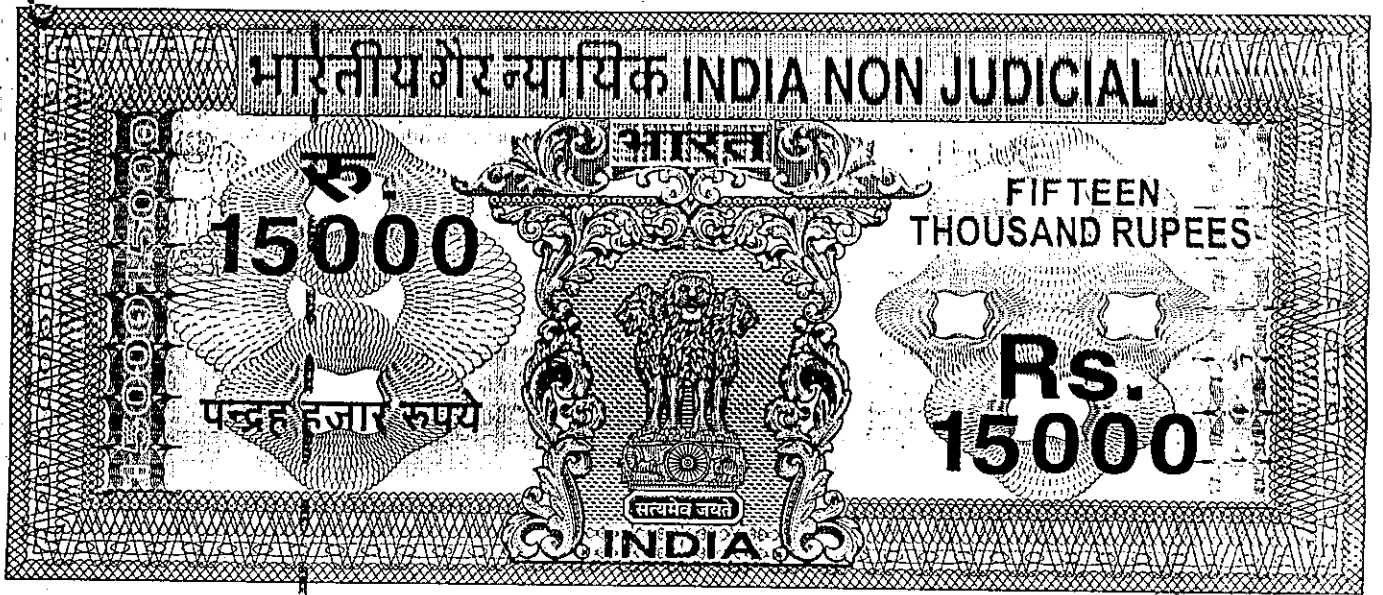


Anupama



17/08/2017





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

969513

या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल राजस्व का दायित्व विक्रेतागण का होगा एवं स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व क्रेता का होगा, सबरजिस्ट्रार वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जसिये वकील निच प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण व क्रेता

22वां अक्षा



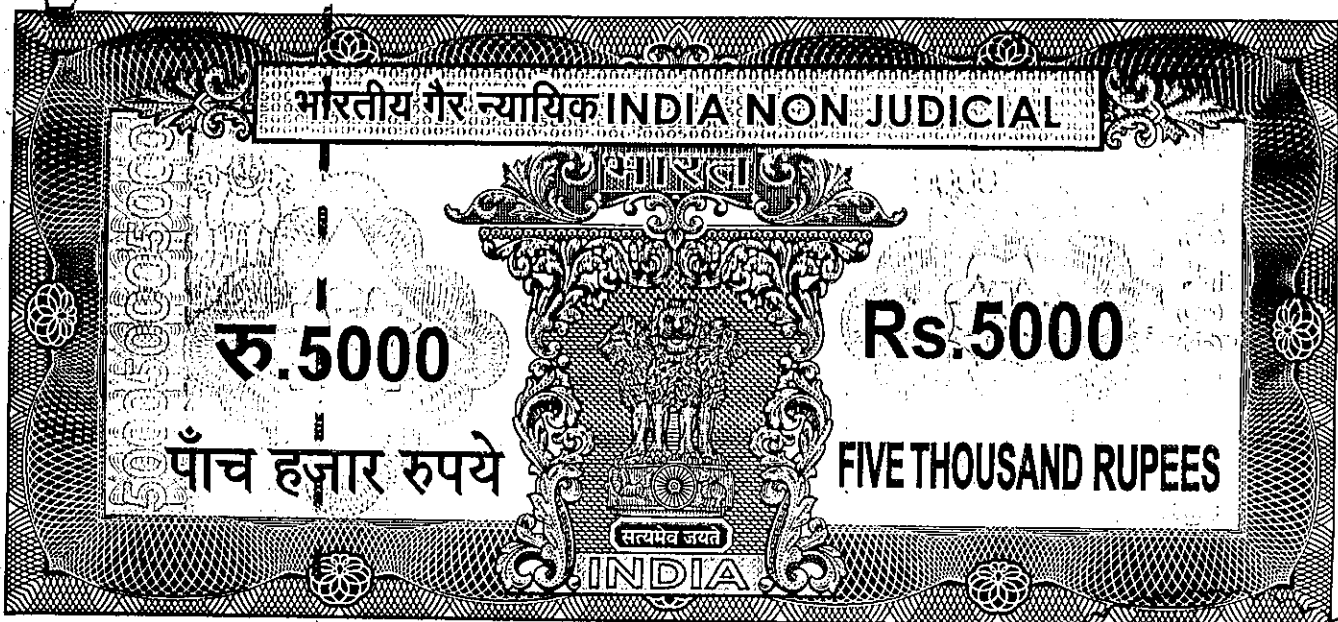
Amul Bang



manjiv







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 762727

कोटागार, शीला  
AY 762727

(16)

मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिकारी

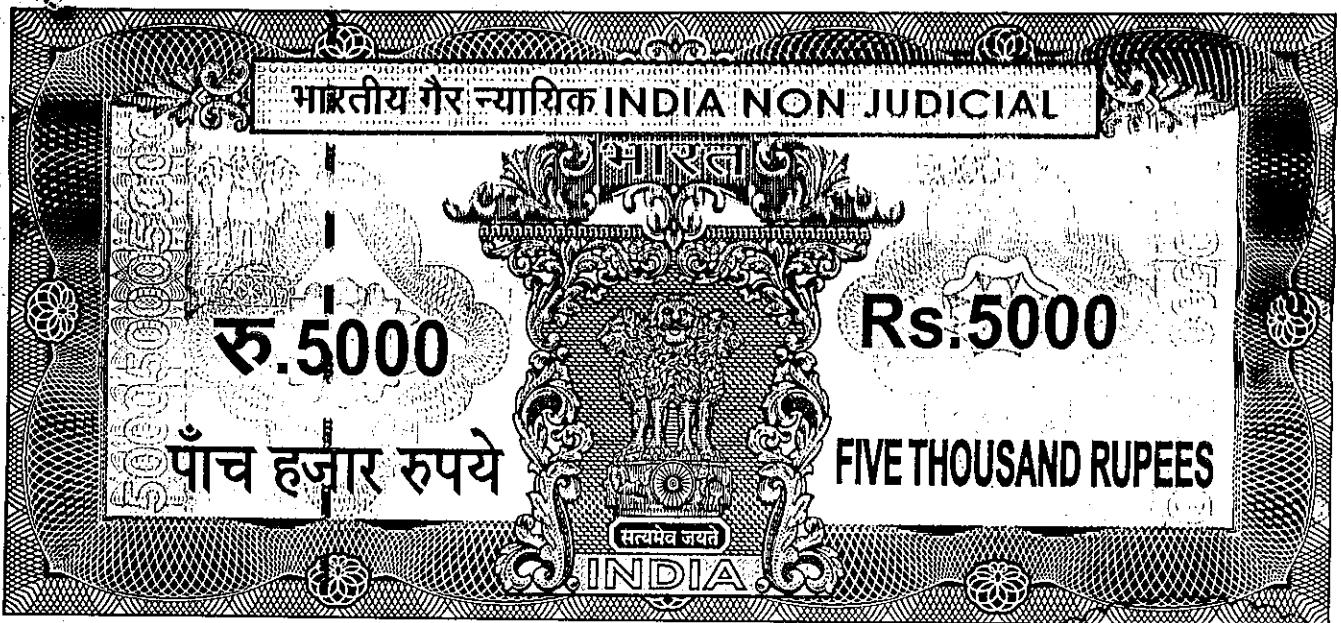
का ही होगा। क्रेता व विक्रेतागण के बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

2 जवा 2381

Anupama

17/10/2018





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी  
7627281  
मुख्य रीकड़िया, मुख्य कोषाधिकारी

दिनांक :- 05.08.2015  
प्रारूपकर्ता :- राजेन्द्र खन्ना, बसीका नवीस, तहसील, झाँसी। *Ry*  
टाइपकर्ता :- अतुल यादव, तहसील झाँसी *Asu*

*रजनी कुप्रा*

*Anupama*

*Mohank*

गवाह (1) *मुहम्मद हमीद अकबरी, बसोवा, तहसील, झाँसी*

गवाह (2) *मोहित शर्मा, बसोवा, तहसील, झाँसी*

*Ry*  
राजेन्द्र खन्ना  
दस्तावेज लेखक  
तहसील व जिला झाँसी  
अनुज्ञाति संख्या - 51  
दिनांक 31/08/2015 तम  
की गई फीस रु. 50/-

# नक्शा - नजरी

बिक्रेता का नाम श्री. गी. रखाऊपा 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

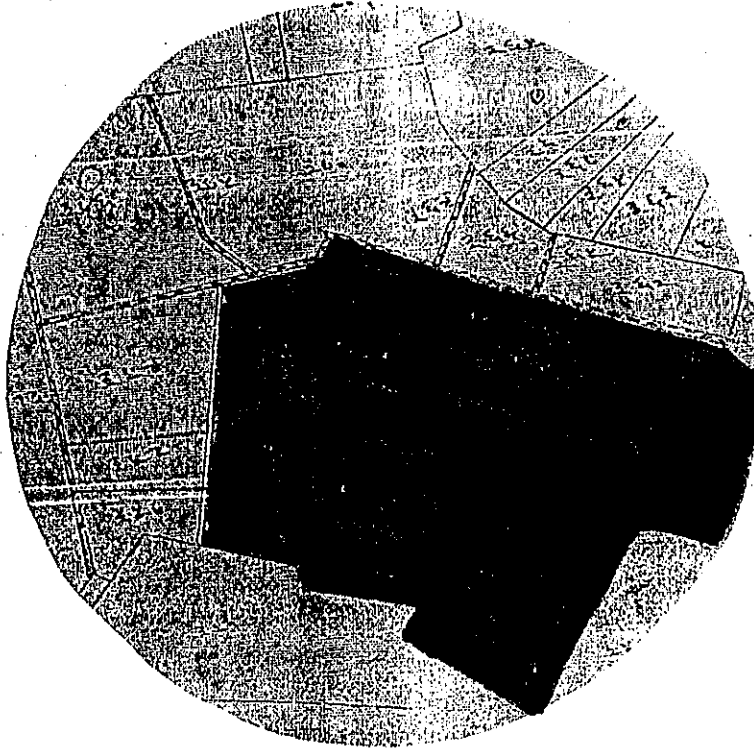
क्रेता का नाम श्री. गी. गायत्री 200 मीटर त्रिज्या के विवरण का मानचित्र

मौजा... सि. ग. रखाऊपा

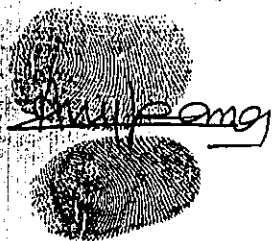
200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर 322



रखाऊपा



हस्ताक्षर बिक्रेता

Marking



हस्ताक्षर क्रेता

Signature of Opendra Singh Thakur

OPENDRA SINGH THAKUR

Joint Development Authority

O/MAN. LIC. No. - 04